

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा  
6वीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)

ई-मेल : [mpugpgcounselling@gmail.com](mailto:mpugpgcounselling@gmail.com) दूरभाष क्र. 0755-2557855

वेबसाईट: [www.medicaleducation.mp.gov.in](http://www.medicaleducation.mp.gov.in) फैक्स


दिनांक 02/12/2022

स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय जमा किये जाने वाले बंध पत्र एवं  
सिक्यूरिटी/कॉशन मनी के संबंध में

प्रथम/द्वितीय चरण से आवंटित अभ्यर्थी जो अगले चरण/ चरणों की काउंसिलिंग हेतु अपग्रेडेशन ऑप्शन लेना चाहते हैं को आवंटित संस्था में प्रवेश के समय रु0 500/- के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य के नाम पर निष्पादित करना होगा कि अगले चरण/चरणों में अपग्रेड न होने की स्थिति में अभ्यर्थी संबंधित प्रवेशित महाविद्यालय के अधिष्ठाता/प्राचार्य के नाम पर पृथक-पृथक ग्रामीण सेवा बॉण्ड एवं सीट लिविंग बॉण्ड, प्रोफार्मा-8 के अनुसार सम्यक रूप से स्टाम्पित शपथ पत्र (0.5% of Bond amount) पर अधिष्ठाता (शासकीय चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश पर) तथा संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश (निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश पर) के नाम निष्पादित करेगा। इसके अतिरिक्त संस्था केवल अंतिम रूप से प्रवेशित अभ्यर्थियों से ही कॉशन मनी/सिक्यूरिटी की राशि जमा करा सकेंगे (Candidates who are not opting for upgradation)।

**Regarding submission of bond and Deposition of Caution  
money/Security Deposit at the time of admission**

Allotted candidates from First/Second round of counselling who wish to opt for upgradation in subsequent round/rounds of counselling will have to furnish an affidavit on Rs. 500/- stamp paper to the Dean/Principal of the institution, stating that in case of candidate not upgrading in subsequent round/rounds, he/she will furnish rural service and seat leaving bond separately (as per proforma-8) in the name of Dean (in case of admission in Government Medical/Dental colleges) or Director Medical Education MP ( in case of admission in Private Medical/Dental colleges). In addition to this institute shall take the Security money /Caution money from the finally admitted candidates only (Candidates who are not opting for upgradation) .

  
Director Medical Education  
Madhya Pradesh